[Shri Vidya Charan Shukla.]

Manohar Lohia commences his speech, I would like to make a request. We would like to finish this Bill today, after the half-an-hour discussion is over. I hope the House will be prepared to sit.

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस आधा घन्टे की डिस्कशन के बाद हम हाउस में बैठें और आप के बिल को पास करें, यह मैं हाउस के सामने रख रहा हूं, क्या आप बैठेंगे ?

Some hon. Members: Yes.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): There will be no quorum.

18.37 hrs.

*SHIPPING OF RICE SUPPLIES FROM BURMA BY MESSRS. AMINCHAND PYARELAL

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, अब यह सदन बर्मा से भारत आये हुए चावल के बारे में बहस करेगा और उसके सम्बन्ध में अन्न-मंत्री जी ने 1 नवम्बर, 1966 को जो जवाब दिया था, उस में से कुछ नतीजे मैं निकाले देता हूं। वैसे तो कम से कम 30-40 जहाज हैं, जिनमें एक एक पर इस देश का दस-दस बीस-बीस हजार रुपये का नुक्सान हुआ है, लेकिन कुछ खास जहाज मैं नमूने के तौर पर गिनाये देता हूं। सन 1961 में ए० पी० जे० सुषमा, यह अमीचन्द प्यारे लाल जौतपाल जहाजरानी कम्पनी का जहाज था, यह कोचीन चावल लेकर आया था, कितना चावल इस पर आना चाहिये था और जितना जवाब में बताया गया है, उस में 104 टन का फर्क होता है, यदि झाड़न-बुहारन का इस में और जोड़ दिया जाये, तो 121 टन हो जायगा या 104 की जगह 70-80 टन हो जायगा, हर हालत में इस में नुक्सान करीब 60-70 हजार रुपये का हुआ।

उसी तरह से "अंजलि" नाम के जहाज से 146 टन का नुक्सान हुआ, इधर या उधर कुछ और भी जोड़ सकते हैं, वह मिल कर कोई 70-80 हजार रुपये का नुक्सान हुआ। सन 1962 में फिर उसी "अंजलि" से लाये गये माल पर 97 टन का नुक्सान हुआ और "आकाश" नाम के जहाज पर सन 1962 में ही 156 टन का नुक्सान हुआ। 156 टन के मतलब होंगे करीब 70-80 हजार रुपये, एक लाख रुपये तक भी यह मामला जा सकता है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो बिलकुल जो एकदम टकसाली नुक्सान है, वही बतला रहा हूं, जो जहाज की नमी के कारण चावल के वजन में बढ़ती हो जाती है या जो जहाज में बालू बिछाया जाता है ताकि अच्छी तरह से चावल को लादा जा सके या जो वजन करते वक्त जान-बूझ कर कम-ज्यादा कर दिया जाता है, उनको भी जोड़ें तो मामला न जाने कितने लाखों पर चला जायगा।

उसी तरह से सन 1963 में "अश्वनि" नाम के जहाज पर 117 टन का नुक्सान हुआ, वही 70-80 हजार रुपये का नुक्सान। इसी तरह से फिर "अन्जलि" पर 71 टन का नुक्सान हुआ। यह मैंने आपके सामने 1963 तक की हालत बतलाई है, 1963 के जुलाई-जून तक की, जिसका मतलब होता है कि श्री पाटिल तब तक अन्न-मंत्री थे।

अब मैं आपको सन् 1964 के बारे में बतलाता हूं। सन् 1964 में 'आकाश' नाम के जहाज पर 138 टन का नुक्सान हुआ, मैं बार-बार एक लाख रुपया नहीं कह रहा हूं। एक जहाज तो गजब का है — "राजीव" नाम का — उस पर जो हम लोगों को सदन पटल पर

*Half an hour discussion.

कागज दिया गया है, उस हिसाब से 983 टन का नुक्सान हुआ। 6987 आना चाहिये था और 6004 आया है। 983 का यह मामला एक ही सफर में 4 या 5 लाख हाथ साफ करने वाला हो गया। हो सकता है कि इस के लिए कह दिया जाये कि छपने में गलती हो गई, किसी सचिवालय में हो गई. लेकिन इस सफाई को अब मैं नहीं मानूगा क्योंकि सदन पटल पर बहुत तकलीफ से और बहुत अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद कागज रखा गया है।

फिर इसी तरह से "दौता" नाम के जहाज तर 128 टन का नुक्सान हुआ, कोई लाख के करीब। तब तक सरदार स्वर्ण सिंह अनाज मंत्री हो चुके थे। यह दो मंत्री थे। उस के बाद से क्या नुक्सान हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। मैं फिर याद दिला दूं कि यह मामला करीब 10 लाख का तो इस कागज पर ही हो जाता है, और कितना हुआ होगा इस पर तो खाली अनुमान ही लगाया जा सकता है। बहुत ही तबियत दहल जाती है कि अनाज को ले कर, चावल को ले कर यह मामले हुए, और बाकी चीजों को मैं नहीं जोड़ रहा हूं।

अब एक बात और सोचने की है कि इसी दौरान जहाजरानी कम्पनी ने जहाज के कप्तानों को एक खत लिखा था। वह खत लिखा गया था 7 मार्च, 1962 को। मैं ने आप को आंकड़े बतलाये हैं 61, 62, 63 और 64 के यानी 1962 से ले कर 1964 तक के। मैं उस का सिर्फ एक वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं। कम्पनी के मालिक साहब लिखते हैं, मालिक के साझेदार :

"इसी लिए सुझाव दिया जाता है कि काफी संख्या में खाली बोरे उतारे जायें। खाली बोरे, जिन पर सम्बन्धित लदान के बिल के अनुसार लदान चिन्ह अंकित हों। खाली बोरे हों जिन पर चिन्ह अंकित किये जायें, ताकि अगर बोरों की संख्या में कमी भी हो तो हम हर जहाज से बुहारने पर मिलि कमरे के माल को माल की कमी के मुकाबलि रख कर दावों का खंडन कर सकें।

अब साफ सी बात है कि जब माल कम आता था तो उस पर सरकार दावा करती थी कम्पनी पर कि देखो यह चावल कम आया। इतना पैसा हम तुम से ले लेंगे। यह काट दिया जायेगा। तो इस बात से बचने के लिए जहाजरानी कम्पनी कहती है कि खाली बोरे उतार दो, उस में अंक लगा दो, उन खाली बोरों को कटे फटे हालत में जहाज के गोदाम के निचले हिस्से के अलग अलग कोनों में फैला कर उतार दो, खाली बोरे कटे फटे हालत में, जहाज के गोदाम के कोनों में। इस काम के लिए केवल विश्वास पात्र लोगों को लगा दो। ऐसे वैसे नहीं, विश्वास पात्र खाली विभिन्न बन्दरगाहों पर अपने एजेन्टों को ताकीद कर दी है। यह साफ है कि ताजि-रात हिन्द और जाब्ता फौजदारी के हिसाब से यह विशेष 420 का मामला है। चोरी को छिपाने के ख्याल से कार्रवाई कराई गई। जहाज जब बर्मा से चल पड़े, चाहे यह बर्मा म हो या और कहीं, जो चावल के बोरे हैं उन के साथ साथ खाली बोरे भी लाद दिये जायें, और वह कटी फटी हालत में हों। उन पर निशान लगे हुए हैं, इस लिए सरकार का जहाजरानी कम्पनी से जो करार होता है वह ऐसा होता है कि कितना माल चढ़ा इससे जहाजरानी कम्पनी को कोई मतलब नहीं होता। कितने बोरे थे, जहाज के मामले में यह एक नियम होता है कि जिन वस्तुओं में, जिन बरतनों में, जिन बोरों म सामान लाया जाये उन वस्तुओं और बोरों के लिए जहाज जिम्मेदार है। उन वस्तुओं के अन्दर सामान कितना था इस से मतलब नहीं। चावल में क्या कमी है, कटे फटे बोरे हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। जब जहाजरानी कम्पनी ने 420 करके, धोका करके बोरों की तादाद बढ़ा देते उस के बाद

[डा० राम मनोहर लोहिया]

से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है यह काम हुआ है ।

इस के ऊपर जब मंत्री महोदय से सवाल पूछा गया तो उन का 8 नवम्बर का जवाब देखने लायक है । यहां पर मैं ने सदन पटल पर चिट्ठी पिछले सत्र में रख दी थी। बहुत मौका मिला था सोच विचार करने का । इस चिट्ठी के बारे में सवाल था कि क्या यह चिट्ठी मिली थी । आप उस पर जवाब देते हैं कि :

"I have seen the document."

यह मंत्री साहब का जवाब है कि मैंने उसे देखा ।

"It was duly examined and dealt with"

इसकी अच्छी तरह से परीक्षा की गई ।

"it was received in the Food Department in April, 1962"

अप्रैल 1962 में यह चिट्ठी भारत सरकार के दफ्तर में आई । 420 वाली चिट्ठी । मैं ने उनसे सवाल पूछा है कि आपने, हजरत, इस सम्बन्ध में क्या किया । वह जवाब देते हैं कर लिया जो करना था । ऐसे मौके पर मुझे हक मिल जाता है कहने का और सोचने का कि इस 420 में न जाने कौन कौन से और लोग शामिल थे और कितना कितना रुपया बरबाद किया गया । देश का पेट काटा गया । अनाज की चोरी की गई, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर श्री पाटिल और श्री स्वर्ण सिंह को मैं शामिल करता हूं । और दूसरे भी शामिल हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता हूं । इसके लिये मैं आपको कानूनी तर्क भी देता हूं । यह कानून यहां पास हुआ है ।

सभापति महोदय: अब आप दो या तीन मिनट और बोल लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया . थोड़ी मेहरबानी आप मेरे ऊपर करें ।

सभापति महोदय : आधे घंटे के डिस्कशन में हमें और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए । आप दस, बारह या पन्द्रह मिनट ले सकते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह सही है । मेरी मुसीबत यह है कि जब लाखों पर लोग हाथ मारते हैं, और मंत्री लोग हाथ मारते हैं, तब हमारे लिये आधा घंटा ही रह जाता है । जो भ्रष्टाचार निवारण कानून है 1947 का....

सभापति महोदय : उस को उठाने का और तरीका भी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह तरीका मेरे भाग्य में लिखा नहीं है । शायद कभी हिन्दुस्तान की जनता जब इस सरकार को खत्म करेगी तब इस सदन में कुछ सच बोला जायेगा । क्योंकि तब छिपाने की चीजें कम रहेंगी । जब तक छिपाने की चीजें हैं तब तक यह सच भी तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जवाब नहीं मिलता । इतनी मेहनत करके मैं थोड़ा बहुत निकाल पाया हूं, अन्दाज लगा पाया हूं कि क्या हुआ है । अगर आप उस के ऊपर अकेले कहीं बैठ कर सोचें तो आपका दिल दहल उठेगा कि यह राज्य कैसे चल रहा है और कौन चीज उसे चला रही है । इस वक्त तो हम आधे मुर्दा हो गये हैं । 1947 का जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उस में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई अफसर अपनी तनख्वाह से ज्यादा की हैसियत और सम्पत्ति रखता है तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी कि व कहां से लाया उस को । बहुत से मंत्री जानते नहीं हैं कि यह कानून पास हो चुका है । इस में दो तीन बरस की सजा है । जब यह मामला मेरे पास आ गया है तब मुझे पूरा हक है यह कहने का कि यहां पर यह दो पहले के अन्न मंत्री बिल्कुल साफ तौर से इस भ्रष्टाचार में शामिल थे, लाखों रुपये

इधर उधर करने में शामिल थे । और मुझको ताज्जुब हो रहा है कि जो लेखा जोखा निरीक्षक होता है उस ने इस को नहीं देखा । इस से भी ज्यादा ताज्जुब होता है कि लेखा जोखा की जो सार्वजनिक कमेटी है वह भी इतने बड़े मामले पर चुप रह गई । हो सकता है वह कहे कि हम क्या करें । हमारे पास जब चीज आती तब देखते हैं । और आडिटर जनरल भी तो खाली नमूने का आडिट करते हैं, सैम्पल आडिट करते हैं । पूरा तो करते नहीं हैं । यह सारे तर्क दिये जायेंगे । मैं खाली इतना ही बतला दूं कि अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था । वहां पर एक हजार एकड़ का मामला है । डंडवारी इलाके का है । काली नदी और गंगा नदी के बीच का हिस्सा है । एक हजार एकड़ को गरीब किसान जोतते और बोते हैं । बारह वर्ष से लगान देते आ रहे हैं, लेकिन वह लिखा नहीं जा रहा है । वहां के लेखपाल और प्रधान का मामला है । अब की बार मामला फूटा क्योंकि दो या तीन एकड़ के लिये उन्होंने 6,000 रु० मांगे । अब एक हजार एकड़ पर कोई 25 या 30 हजार रु० की घूस का मामला है । यह घूस श्री पाटिल और श्री स्वर्ण सिंह से लेकर के लेखपाल और पटवारी तक जाती है । आखिर कैसे यह देश बन पायेगा । जरा सोच समझ कर और विचार कर के इस के ऊपर मंत्री हमें उत्तर दें । यह मैं जानता हूं कि उन के पास अस्त्र है, बड़ा अस्त्र है चीजों को टाल देने का । अभी इसके जवाब में कहेंगे कि हमने पूरी तरह से करवाई कर दी जो करनी थी । क्या कारवाई की थी यह सदन को हक है जानने का । इस लिये आखिरी तौर पर मैं मांग करता हूं इस सदन की तरफ से कि इतनी बड़ी चीज को लेकर के अगर यह सरकार चुप रह जाती है, तो आज हम चाहें कुछ न कर पायें, लेकिन इतिहास में उनके माथे पर हमेशा के लिये कलंक लग जायेगा कि इन से ज्यादा भ्रष्टाचारी कभी हुआ नहीं ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : उस वक्त इन्होंने कहा था कि कार्रवाई की थी । मैं जानना चाहता हूं कि कार्रवाई करते वक्त इन्होंने सोचा था या नहीं कि जो इंडियन पीनल कोड वगैरह हैं उस को भी लागू किया जा सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : सरकार ने इस बात की पूरी खोज की है या वह करेगी कि जितना गबन इन जहाजों में अनाज का किया गया है उस में दोषी कौन था, किन का दोष था और उनका दोष जनता के सामने लाकर जो आपका भ्रष्टाचार का कानून बना हुआ है और उसमें जो सजा की व्यवस्था है, उस कानून की उस धारा के अधीन दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने का प्रयत्न किया था और अगर नहीं किया था तो क्या अब आप ऐसा करेंगे ।

श्री बागड़ी (हिसार) : यह इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इसको आडिटर जनरल और पी० ए० सी० के सामने क्यों नहीं रखा गया है ? अगर रखा गया तो कब रखा गया है और अगर नहीं रखा गया है तो इसका क्या कारण है ? क्या अब आप इसको रख रहे हैं उनके सामने या नहीं ? दोनों मंत्रियों के खिलाफ जो डा० राम मनोहर लोहिया ने खुले सदन में इलजाम लगाया है उन को क्या आप कहेंगे कि वे इस्तीफा दें और ज्यूडिशल इनक्वायरी को फेस करें ताकि यह सारा जो मामला है इस को साफ किया जा सके ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): Sir, I have a point of order. The hon. Member just now said that the allegation of corruption has been made against these two ministers by hon. Dr. Lohia. That was not my impression when I heard Dr. Lohia that he was making an allegation of corruption. If an allegation of corruption has been made, it is wholly out of order and no allegations against any Member can be made without pre-

(Shri Vidya Charan Shukla.)

vious notice. The rules are settled on this point. If any allegation of that kind has been made, that will have to be removed from the proceedings because that has been made in an irregular manner.

Mr. Chairman: If the hon.. Minister feels that something has been said which has been found to be incorrect, he can say so in the reply.

Shri Vidya Charan Shukla: My point of order is very different: is a Member entitled to make any allegation in the House without following the procedure which has been prescribed for making allegations of this kind?

श्री बागड़ी : एलीगेशन कहां है, यह सत्य है ।

Shri Vidya Charan Shukla: You are stickler for the rules and you know the rules. If an allegation of this kind has to be made, the rules have to be followed. Otherwise, it is not possible to make any allegation.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Which rule? Kindly read the rule.

श्री बागड़ी : एक बार आपने सुन लिया है और रूलिंग दी है । फिर आप क्या दुबारा उसी पर व्यवस्था देने के लिये तैयार हैं ?

Shri Vidya Charan Shukla: Under rule 353, I raise this point of order. You know this rule. I can read it out.

Mr. Chairman: He may please resume his seat. If I heard Dr. Lohia correctly I think he said: the two Ministers can be said to be involved in this. Is that not so?

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं साफ कहना चाहता हूं कि विषय ही वही रखा गया है । बर्मा से आये हुये चावल का यह विषय है । इस में जो चोरी हुई है और जिनकी मातहती में हुई है, उसका यह विषय है । मैं तो बहुत कम बोला हूं —

सभापति महोदय : मैं जहां तक समझा हूं डाक्टर साहब ने यह कहा है ।

18.55 hrs.

First of all, it is an allegation. Unless you reply to the allegation, nobody can go with the conclusion that what they have said is correct or not. Therefore, the entire thing has been explained and that is why a half-hour discussion is given. I rule it out; it is no point of order.

Shri Vidya Charan Shukla: What Dr. Lohia said is that people from Shri S. K. Patil and Shri Swaran Singh to the ordinary patwari in a particular village were involved in this kind of corruption and all that. Therefore, I say that that under rule 353, "no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply." This is a very special thing, and a specific allegation has been made. For the purpose of this half-an-hour discussion, no such allegation is necessary. The facts can be stated, as they are, in possession of the Member and the Minister can give a reply to those points. But to make a definite allegation that such and such Minister is involved in corruption, and because of this corruption such and such a thing has happened is of a defamatory or incriminatory nature. The rule is very clear on this and if he goes on,—

Some hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: Order, order. Please sit down.

Shri Vidya Charan Shukla: If he speaks on the merits of the case, we have no objection. But if he begins to quote and mentions names and makes allegations that they are involved in corruption, it becomes objectionable under this rule.

Shri Umanath (Pudukkottai): I take objection to it. My point is this. Already, on a similar objection raised by way of a point of order, the Speaker has given a ruling. That was when we were all inside the jail, when the White Paper against us was being discussed. The very same hon. Member, Shri Vidya Charan Shukla, mentioned comrade A. K. Gopalan by name and his wife also by name, and he made all sorts of slanderous allegations. Now, he did not give notice, to comrade Gopalan who was inside the jail. He knew that. In their absence, he brought this charge, and objections were raised on this side.... (*Interruptions*).

Shri Vidya Charan Shukla rose—

Mr. Chairman Order, order.

Shri Umanath: It is against the hon. Deputy Minister. Kindly listen. I am coming to the point. Let me complete it. Objections were made from the Opposition under the same rule, when the Speaker gave the ruling that if the Member who makes the allegation is satisfied that there are proper grounds, then he can make it if he is satisfied on those things. What hon. Member Dr. Lohia said is this. He said that he is completely satisfied about those things as far as he is concerned. So, as per that ruling, that ruling stands. And the hon. Deputy Minister has no moral authority to quote that rule now when he has himself done the same thing**on the previous occasion.

Mr. Chairman: This word will not go on record. It stands expunged.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि उप-मंत्री महोदय ठीक तरह नियम को पढ़ना नहीं जानते हैं। नियम आप देखिये :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

इसी से साफ है कि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अगर कोई आरोप है तो उसकी इत्तिला अध्यक्ष महोदय को और सम्बद्ध मंत्री को . . .

सभापति महोदय : यह तो साफ है।

श्री मधु लिमये : मेरा लम्बा प्वाइंट है।

उन को आपने तीन दफा बोलने दिया है। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं कोई फालतू बात नहीं कह रहा हूं। पहले तो अन्य व्यक्ति के बारे में अगर आरोप है तो अध्यक्ष और मंत्री को इत्तिला देनी चाहिए ताकि वह मंत्री उसके बारे में जांच करे।

दूसरे आधे घंटे की बहस जब उठाई जाती है तो उसका नोटिस दिया जाता है और नोटिस के साथ नोट दिया जाता है। इस में यह सारी बातें थीं। इसीलिए यह बहस उठाई गई है और मंत्री महोदय को और अध्यक्ष महोदय को उसकी इत्तिला है और उन की इजाजत से आज डा० साहब इस बहस को उठा रहे हैं।

Shri Hanumanthaiya (Bangalore City): If, at this late hour, there is a debate on every point of order, how can we get along with the business of the day? After all, the Chairman will give a decision.

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर के बीच में नहीं हो सकता है। क्या आपको कोई सुपर प्वाइंट आफ आर्डर है। आप चले जाइये, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Hanumanthaiya: He will give a ruling now.

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर चल रहा है और बीच में निर्णय दे देंगे ?

Mr. Chairman: Order, order. I will tell you one thing. I quite agree with the hon. Member, Shri Hanumanthaiya, that at this belated hour we should rather go on with the business that is before the House. Unfortunately, other points are going on from either side and therefore we have to listen to them.

श्री मधु लिमये : जिन बातों का जिक्र सदन की कार्यवाही में हो चुका है, जो कागज सदन-पटल रखा जा चुका है, जिस कंपनी के बारे में पब्लिक एकाउंटस कमेटी की रपट है, उन बातों के बारे में जब आध घंटे की बहस उठाने वाले माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, तो उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है और कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

Mr. Chairman: This half-hour discussion has been agreed to under the orders of the Speaker. The allegations made in this have to be cleared by somebody. The hon. member is justified in coming to his own conclusions unless and until it is clarified thread-bare and cleared by the Government so far as the subject touched in this discussion is concerned. Therefore, whatever Dr. Lohia has said cannot be ruled out and expunged unless the Minister replies to the points raised.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : माननीय सदस्य, डा० लोहिया, ने अपने भाषण में बताया है कि इस सम्बन्ध में कितने रुपये का नुकसान हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अन्न के नुक्सान के सिलसिले में इस एपीजे कम्पनी से कितना हर्जाना वसूल हुआ । उस के बाद जब यह शिकायत आई कि खाली बोरे रख दिये गये, तो क्या तब भी कोई हर्जाना वसूल हुआ ; अगर हां, तो कितना; अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मधु लिमये: आपको याद होगा कि जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की 55वीं रपट पर यहां पर बहस हुई, तो श्री सुब्रह्मण्यम ने, इस बात का जवाब देते हुए कि एपीजे शिपिंग लाइन को काली सूची में रखने सम्बन्धी हुक्म क्यों वापस लिया गया, यह कहा था कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने इस कम्पनी की बड़ी तारीफ की है कि चावल के आयात में इस ने बड़ा अच्छा काम किया । उस ने क्या अच्छा काम किया है, क्या सेवा की है, आज माननीय सदस्य डा० लोहिया, ने उस को खोल दिया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमीचन्द प्यारेलाल की कम्पनी पहले कोई बड़ी कम्पनी नहीं थी, लेकिन जब सरदार स्वर्णसिंह पांच वर्ष तक इस्पात मंत्री थे, जब श्री एस० के० पाटिल शुरू में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और जब बाद में वह खाद्य मंत्री बने, फिर जब श्री सुब्रह्मण्यम आए, तब इन तीन मंत्रियों की छत्र-छाया में, इन के कृपा-छत्र में, अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी का साम्राज्य इस्पात के क्षेत्र म जहाजों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में फैला । पता नहीं, कितने मंत्री इन की जेब में हैं । मेरा सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने जो इस कम्पनी की सिफारिश की कि इसने बड़ा अच्छा काम किया है, इस कम्पनी के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग आर्डर क्यों वापस लिया गया और इसको क्यों सहूलियत दी गई, क्या मंत्री महोदय इस पूरे रहस्य की सफ़ाई करेंगे ।

Shri S. M. Banerjee: From what Dr. Lohia has said, it is clear to us that in this not only two ministers, but 3 ministers are involved, whom I would call Tin Murti—Mr. Subramaniam, Mr. Swaran Singh and Mr. Patil in between like Saraswati. I want to know whether the investigation in this particular case where ministers are said to have been involved will be given to the Central Intelligence Bureau or to a high-powered commission of a judicial nature to go into the charges and in the

meantime whether these ministers will be asked to resign gracefully at least for two or three days because the session is going to be over?

Mr. Chairman: As far as the last question is concerned, only that portion which concerns the import and transport of rice may be answered—the hon. Minister (*Interruptions*).

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): Mr. Chairman, Sir, wild allegations have been made and a very large ground has been covered in the speeches made by Dr. Lohia and others. Had they cared to look into the subject matter for discussion, these allegations would not have been made. I do not know whether it was deliberate or whether it was accidental.

श्री मधु लिमये : डेलिबरेट था।

Shri Govinda Menon: The subject for discussion is "points arising out of the reply given to Unstarred Question No. 821 on 8-11-1966." The question and answer were these:

The question was:

"Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation be pleased to state:

(a) whether he has examined the document placed on the Table by Dr. Ram Manohar Lohia, M.P., on the 2nd September, 1966 regarding the supply of less rice carried by a Company of Messrs. Amin Chand Pyare Lal from Burma; and

(b) if so, the result thereof?"

The answer was:

"(a) and (b): I have seen the document referred to. It was duly examined and dealt with at the time when a copy of it was received in the Food Department in April 1962."

This refers to this particular matter. In a ship which was carrying rice from Burma to Cochin, the Food Attache to the Indian Embassy in Burma was able to detect instructions given by the proprietors to some of their subordinates that they should carry certain empty gunny bags in the ship so that they can cover shortages if any in the matter of rice which was carried. Plainly, Sir, it was an attempt to defraud. There is no doubt about it. As soon as that letter was received in the Food Ministry steps were taken to see that no such fraud could be committed and no fraud was committed. There was no shortage of rice in the ship to which this letter referred. The name of the ship was Rita (*Interruptions*). Immediately the letter was received the officials of the Food Ministry instructed all their representatives in the different ports—Calcutta, Madras, Cochin etc—that there was an attempt in this direction and precaution should be taken so that the Ministry should not be defrauded (*Interruptions*).

Mr. Chairman: Order, order. I want to make one thing clear. As every hon. Member has put his question and nobody interrupted them, let the hon. Minister also explain his position.

Shri Govinda Menon: Hon. Members are getting impatient. What I want to say is, with respect to this particular voyage where in a ship was carrying rice from Burma to Cochin—to that this question relates. This question refers only to that matter. There was absolutely no fraud committed, it was not allowed to be committed.

Other questions were raised by Dr. Lohia. He began his statement by referring to the losses which were incurred in various voyages (*Interruptions*). I am not in a position to

[Shri Govinda Menon.]

say now. This happened in 1961-62... *(Interruptions)* **

Mr. Chairman: Order, order. This will not go on record.

मैं माननीय सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि मैं भी उन की तरह बहुत जमाने का काम करने वाला हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम एक आर्डरली तरीके से काम करेंगे, तभी हम इस बहस से कोई मानी निकाल सकेंगे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन को असलियत का पता चले, तो इसके लिए मिनिस्टर साहब को मौका देना होगा। अगर कोई बात बाकी रह जाती है, तो बाद में मैं उस को देख लूंगा। आखिर मैं किस लिये यहां बैठा हूं? मिनिस्टर साहब को अब अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

Shri Govinda Menon: I am not in a position to say anything because in the motion the references were to somethings which were alleged to have happened in 1961-62. I have come ready with materials to answer the statements made which are relevant to that motion. I submit that there was no loss suffered. Immediately, the information was received, the representatives of the Ministry in all the different ports were informed about it.....

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : देखिये, सुनिए जरा। मैं डाक्टर साहब के एक एक लब्ज को समझ चुका हूं। आप देखेंगे जब मैं पूछूंगा। मुझे मौका दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर कोई माने नहीं है।

Shri Govinda Menon: The points that Dr. Lohia wanted to raise are specified in the motion: No. 1 is that the letter of the shipping company is a genuine one and it shows their dishonesty. On behalf of the Government I do not say that it is not a genuine one. It may have been a genuine one. Secondly, it is said that it is not clear what action has been taken against the company. Now, the information which was received from the Embassy in Burma was with respect to the rice which was being carried in that particular voyage and the gunny bags in that particular vessel. It was not a general information given to us regarding the company. We took all steps to see that the company was not permitted to defraud the Food Department. The third question was how the work of the company was commended and its name was removed from the blacklist in the face of their letter in question. My answer is that the work of the company has not been commended. The reference probably is to a telephone conversation which loomed large in certain discussions with respect to another question, wherein one of the officers of the Transport Ministry is reported to have stated that this is a company which has been ready to take up work when the other companies were not prepared to take up the work. That was the only commendation made according to the evidence before us.

Coming to the question of blacklisting, here again the reference is to the Fifty-fifth Report of the Public Accounts Committee and the explanation given by Shri Subramaniam, the Minister of Food and Agriculture. As soon as certain facts came before the Minister, he issued a blacklisting order. But, subsequently, because he was the Minister for Steel, it was confined to the Steel Ministry. It was not a question of withdrawing the blacklisting order. Generally, the blacklisting order....

श्री मधु लिमये : बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।

Mr. Chairman: Dr. Lohia has made one point. He has listed certain steam-

**Expunged as ordered by the Chair.

ers and said how much of shortage was found in each case, some hundreds of tons. How far is this correct? If it is correct, what action has the Government taken.

Shri Govinda Menon: That is what I am coming to.

डा० राम मनोहर लोहिया : एक ही जहाज के लिए वह चिट्ठी नहीं भेजी थी। वह चिट्ठी सब जहाजों के लिए भेजी थी। यह अध्यक्ष महोदय, जरा याद रखना।

Shri Govinda Menon: The information which was received by the Ministry from our Embassy in Burma was with respect to this voyage. Now the general question is being raised. These are matters which took place 5 or 6 years back. If I had been given notice that Dr. Lohia wanted to raise those points, I w have come prepared . . . (*Interruptions.*)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि इसको एग्जामिन किया, तो क्या खाक एग्जामिन किया ?

Shri Govinda Menon: If I had notice that the hon. Member wanted to refer to the general question of shortages in the matter of transport of foodgrains, I could come prepared to say what it is.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इसका भी इसी से ताल्लुक है।

Shri Govinda Menon: As a matter of fact, that statement is not correct because I have got the list. In 1960, for example, the percentage of loss with respect to foodgrains carried by APJ Lines was .2 per cent.

Shri M. R. Krishna (Peddapalli): Who has given that loss?

Shri Govinda Menon: I am giving it. We examined it and found it.

In the case of Bharat Line Limited it was .5 per cent, in the case of the Shipping Corporation of India it was .03 per cent, in the case of Scindia Steam it was .5 per cent, in the case of Malabar Steamship Company it was .3 per cent and in the case of the Great Eastern Shipping Company it was .4 per cent.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

Shri Govinda Menon: In 1961 in the case of APJ Lines it was .7 per cent, Malabar Steamship Company—.6 per cent and Gill Amin Steamship Company—.8 per cent. In 1962, APJ Lines—.5 per cent, Shipping Corporation of India—1.5 per cent, Scindia Steamship Navigation Company—.7 per cent, Bharat Line Limited—.7 per cent. In 1963, APJ Lines—.5 per cent, Shipping Corporation—.9 per cent, Scindia Steam—.5 per cent, South East Asia Shipping Company—.7 per cent,—Great Eastern Shipping Company—.2 per cent,—India Steamship Company——.5 per cent. In 1964, APJ Lines—1.4 per cent, Shipping Corporation—1.1 per cent, Ratnakar Shipping Company—1 per cent. These are the figures.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): The losses have gradually increased; in 1963 they were much less than in 1964. Why?

Shri Govinda Menon: That is another matter.

Therefore, the allegation that much losses were occasioned by this company and that two or three ministers, named by him, should be deemed to have been corrupt—all these things are wide off the mark and I should say that this is not relevant for the occasion. Dr. Lohia was misusing the opportunity in order to make wild allegations against members of the Government.

Now, it is true that wording of that letter is a general one, but they were not allowed to make use of the device which they wanted to adopt in that letter.

[Shri Govinda Menon.]

One hon. Member referred to section 420 and all that. Section 420 refers to cheating. It is common knowledge that unless there is cheating, preparations to cheat will not be a subject matter of a prosecution. Further blacklisting is not done by the Food Ministry.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने दशमलव की बात जो कही है, यह मैं कहना चाहता हूं कि इन की बात सुन कर के यह बात साफ हो जाती है कि वह 420 करने के बाद इन्होंने दशमलव निकाला है। अगर 420 वाला हिस्सा निकाल दिया जाय तो फिर ए० पी० जे० कम्पनी, जहाजरानी कम्पनी का हिसाब 5 प्वाइंट कुछ या 10 प्वाइंट कुछ होगा और असल में सारा मामला रुपयों का है, यह सारा मामला दस पन्द्रह बीस लाख रुपये का हो जाता है तो...

सभापति महोदय : जहां तक कि सवाल का ताल्लुक है जो सवाल मेरे सामने है वह सवाल आप के जवाब से क्लीअर हो चुका है जहां तक कि सवाल महदूद है।

डा० राम मनोहर लोहिया : कहां हुआ है ? बिल्कुल नहीं हुआ है।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अब पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी को भी घसीटा है। मैंने साफ सवाल किया था कि शुरू में जब सुब्रह्मण्यम् साहब स्टील मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक साधारण ब्लैक लिस्टिंग आर्डर निकाला...

सभापति महोदय : आप प्वाइंट आफ आर्डर, कहिए न।

श्री मधु लिमये : मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कुछ तो धीरज रखिए। तो मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने गलत जवाब दिया कि चूंकि वे केवल स्टील मिनिस्टर थे इसलिए उन्होंने अपने स्टील के बारे में कहा। लेकिन उन्होंने जनरल ब्लैक लिस्टिंग आर्डर निकाला था और वह ए० पी० जे० के लिए भी लागू था। लेकिन बाद में कहा गया चूंकि कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा सिफारिश हो गई है इसलिए इसमें तबदीली की गई है। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की सिफारिश क्या है...

Mr. Chairman: There is no point of order.

श्री बागड़ी : सभापति महोदय, आपने मेरे सवाल के बारे में कहा था कि जवाब दिलवायेंगे। क्या इस मामले को ये आडिटर जनरल के पास भेजने को तैयार हैं, अब तक भेजा क्यों नहीं या अब भेजने के लिये तैयार हैं...

सभापति महोदय : जो सवाल था, उसका जवाब देने के बाद, अब इसकी गुंजाइश नहीं रह गई है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था वाला सवाल है। एक बात तो यह साफ है कि जिस हद तक यह बहस चली है—जो ए० पी० जहाजरानी कम्पनी ने अपने कप्तानों को लिखा, वह खत सब कप्तानों को था, सब जहाजों को था, किसी एक को नहीं था। मन्त्री महोदय ने सदन को गुमराह किया कि वह खत केवल रीता जहाज के लिये था। वह सुषमा के लिये था, वह रीता के लिये था, वह खत सब के लिये था। दूसरी बात उस खत से बिल्कुल साफ है कि धोखा दो सरकार पर डोरे डाल कर...

Mr. Chairman: I do not agree with that.

डा० राम मनोहर लोहिया : जब दूसरी तरफ से इत्तिला न आये तो...

सभापति महोदय : डाक्टर साहब, हाफ-एन-अवर डिस्कशन में लिमिटेड डिस्कशन होता है, उस हद तक जिस हद तक कि आपका सवाल है और वह अब खत्म हो गया है... (**व्यवधान**)

डा० राम मनोहर लोहिया : इस वक्त मंत्री महोदय ने विशेषाधिकार की बात कही है...

सभापति महोदय : सवाल को उठाने के और भी तरीके हैं।

श्री मधु लिमये : इनके खिलाफ विशेषाधिकार आयेगा तो आप मंजूर नहीं करेंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह विशेषाधिकार का सवाल है। मन्त्री महोदय ने जान बूझ कर सदन में यह असत्य भाषण किया है।

सभापति महोदय : देखिये डाक्टर साहब आप जानते हैं कि मेरे मन में आपके लिये कितना रिगार्ड है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कह कर आप मुझे चुप करा देते हैं।

सभापति महोदय : आपको जानना चाहिये कि जब इस जगह कोई शख्स बैठता है तो उस को रूल्ज आफ प्रोसीजर के तहत उस काम को कराना होता है। मैं आप से अर्ज करूं कि हमने पहले ही इसमें ज्यादा वक्त ले लिया है, इसलिये कि मैं चाहता था कि आप चूंकि इसमें बड़ा पेन्ज लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिये, इसलिये आपको पूरा मौका दिया जाय। I am sorry, that is enough.

श्री राम सेवक यादव : आपने मुझे प्रश्न पूछने दिया लेकिन उसका उत्तर नहीं दिलवाया।

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइये।

That is enough. I am sorry I will not allow any further discussion on this.

19.23 hrs.

GOA, DAMAN AND DIU (OPINION POLL) BILL—*contd.*

Clause 6— *contd.*

Shri V. C. Shukla: Mr. Chairman, Sir, Mr. Kamath moved amendment Nos. 11, 12 and 13 and he made certain remarks on them. I want to say that this opinion poll which is going to be conducted in Goa is going to be conducted under the superintendence, direction and control of the Chief Election Commissioner. So, there could be no doubt about the impartiality of officers who work under him and, therefore, it does not seem necessary that we should say that the Central Government servant only should be the Poll Commissioner and not the Government servant who is working in Goa administration. So, I am unable to accept these four amendments.

Mr. Chairman: I will put all the four amendments Nos. 11, 12, 13 and 18 together.

Amendments Nos. 11, 12, 13 and 18 were put and negatived.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Mr. Chairman: There are two amendments Nos. 14 and 19 to clause 7. They are not moved.

The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Mr. Chairman: Clauses 8 to 19 are before the House.

There is no amendment.

The question is:

"That clauses 8 to 19 stand part of the Bill."

The motion was adopted.